28/11/15	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाता है। जिसका निर्धारित रजिस्टर में लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

मे जारी हुए

कैमल शुल्क छोड़ने नेवा में जप छोड़ने पक्षकार उपहार को आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0.–47/11 तारीख रजु.–1.6.11

उनवान

मोहनलाल पुत्र हरिचरणलाल जाति ब्राहमण निवासी चटीकना करौली

—वादी

बनाम

1. जाहिदउल्ला पुत्र रजाउल्ला } जाति मुसलमान नि. चटीकना करौली
2. जियाउल्ला पुत्र रजाउल्ला }
3. निक्कूपाल उर्फ चदवन्शपाल पुत्र प्रकाशपाल जाति राजपूत नि0चटीकना करौली
4. मुकेश पुत्र नरेश गुप्ता जाति गुप्ता निवासी होली खिडकिया बाहर करौली
5. तहसीदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर
6. नरेश कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति महाजन नि. होली खिडकिया बाहर करौली

—प्रतिवादीगण

दावा–स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 आर0टी0एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांकः– 28/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नम्बर 7678 रकबा [illegible] बिस्वा चाही–1 वाके कस्बा करौली तहसील व जिला करौली में स्थित है जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बंध व तालुक नहीं है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी की पूरब दिशा की तरफ डोर को काटकर अपनी जमीन में मिला रहे है तथा 10 फुट चौडी व 250 फुट लम्बी जमीन को लाठी के बल पर मेरी पक्की खण्डो की बाउण्डरी को तोड कर मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहते है तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। दिनांक 30/5/2011 को सुबह 8 बजें करीब वादी अपनी उक्त आराजी को देखने गया तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वादी की खण्डो की पक्की बाउण्डरी को फैलाने पहुच गए वादी ने मना किया तो झगडा करने पर आमदा हो गए। वादी ने कहा कि मेरी पचासो साल पुरानी बाउण्डरी बनी हुई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

इसको मत तोडो और मेरी जमीन की अंदर मदाखलत बेजा मत करो किन्तु प्रतिवादीगण नाजायज वादी को परेशान कर रहे है और कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दे रहे है मेरी फसल को उजाडने की धमकी दे रहे है। वादी प्रतिवादीगण की इस ताकत का मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने का मुस्तहक है। विनाय मुखासमत दिनांक 30/5/2011 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त आराजी खण्डो की बाउण्डरी को फैलाने की धमकी देने तथा खातेदारी के अन्दर मदाखलत बेजा करने की धमकी देने व जमीन पर कब्जा करने की धमकी देने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई हैं। अत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की बावजूद तामील उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नंबर 6 द्वारा जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 7678 से भिडेवा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजीयात खसरा नं0 7681, 7682 है जिसके काफी भू–भाग को वादी झूठे वाकियात पर आधारित दावा की आड में दबाने पर उतारू है। प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन में कोई तोड फोड की गई न ही अपनी जमीन में वादी की आराजी का कोई कोई भू–भाग मिलाया है। बल्कि असलियत में दायरी दावा के समय खसरा नम्बर 7678 [illegible] की दीवार ही बनी हुई न ही थी न ही प्रार्थी द्वारा वादी की किसी भूमि को काट कर अपनी भूमि में मिलाया है बल्किम प्रार्थी की खाातेदारी की व कब्जा काश्त की आराजी खसरा नं0 7681 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 7682 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा वाके कस्बा करौली तहसील करोली के करीब 10 फुट चौडी भू–भाग को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वर विनाय बदयान्ति खसरा नं0 7678 की सीमा में मिलाते हुए प्रार्थी की गैर मौजूदगी की फायदा उठाकर दबा लिया है। तहसील उजात मजीद व काउन्टर क्लेम में दर्ज की गई है जिससे वादी को बेदखल किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा बिल्कुल बेबुनियाद व मनगढत दावा प्रार्थी की जमीन पर अतिचार कर पेशबंदी के लिये पेश किया है जो हर हाल में खारिज होने योग्य है। वादी को किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो कभी धमकी दी गई न ही किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे परेशान ही किया प्रार्थी द्वारा आराजीयात खसरा नम्बर 7681, 7682 वजरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की ओर कब्जा बेचान कर्ता से प्राप्त किया जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादी को रही है। प्रार्थी बाद खरीद अपनी दीगर कार्यों की आवश्यकता के कारण जयपुर चला गया जिसकी जानकारी भी वादी को रही और इसी का फायदा उठाकर वर विनाय बदयान्ति वादी द्वारा प्रार्थी की खाातेदारी व कब्जाकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 7681, 7682 के करीब 10 फुट चौडे भू–भाग पर अतिचार करते हुए खण्डों की दीवार 2 दिन में तैयार करा पेश बंदी के लिये झुठा दावा माननीय अदालत श्रीमान मुगालता देकर पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करली। प्रार्थी [illegible] वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायाहित में आवश्यक वादी को किसी के द्वारा कोई धमकी नही दी न ही किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न की वादी को कोई विनाय मुखासमत व खिलाफ प्रार्थी पैदा नही हुई है दावा वादी हर हाल में खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

काउन्टर का वादी द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 7678 रकवा 2 बीघा 9 बिस्वा चाही। कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार है, तथा खसरा नम्बर 7681, 7682 वादी की खण्डो की चिनाई की मेड से लगेमा स्वीकार है। उक्त आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

म्बर 7681, 7682 होना स्वीकार नहीं है लाईल्म है। उक्त आराजी की खातेदारी जाहिद उल्ला प्रतिवादी की खातेदारी से गलत इन्द्राज है। उक्त आराजी शिरू से माफी मस्जिद की रही है। सम्वत 1691–92 में साविक खसरा नम्बर 5909 दर्ज है जिसकी रजिस्ट्री शिरू से ही शून्य व प्रभावहीन है बोइड है। ये दोनों खसरा नम्बर माफी मस्जिद के है इनसे प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5,6 का कोई सम्बन्ध व ताल्लुक नहीं है। वादी के खातेदारी खसरा नं0 7678, की बाउण्ड्री पूर्व दिशा की ओर सम्वत 2015 से पूर्व की खण्डो की चिनाई हो रही है। उक्त प्रतिवादीगण ने काट कर खसरा नम्बर 7681, 7682 में जबरन करीब [illegible] फुट चौड़ी 250 फुट लम्बी जमीन को लटठ् के बल पर खण्डो की बा[illegible] कर [illegible]स रहे हैं। लब कि उक्त जमीन से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व ताल्लुक नहीं है। प्रतिवादी नं0 5 ने काउण्टर क्लेम बिल्कुल गलत व झूठें तथ्यों के आधार पर पेश किया है। काउन्टर क्लेम के अंदर प्रतिवादी नरेश ने अपने आपको प्रति0 सं0 5 लिखा है कही प्रतिवादी नं0 6 लिखा हे। पूरा ही काउन्टर क्लेम डिफेक्टेड पेश किया है जिससे यह जाहिर नही होता है कि यह काउन्टर प्रतिवादी नं0 5 की ओर से पेश किया है या प्रति0 नं0 6 की ओर से पेश किया है। बिल्कुल झूठे तथ्यों पर यह काउन्टर क्लेम पेश किया है। खसरा नम्बर 7681, 7682 माफी मस्जिद की जमीन है और उसी को उक्त जमीन को नपती कराने का अधिकार है। खसरा नम्बर 7678, जो वादी की खाातेदारी की जमीन है उसकी नपती बावत प्रतिवादी का गलत एतराज है क्यों कि वादी की जमीन पूर्व से ही नपी हुई और कब्जे में है। प्रतिवादीगण ने मस्जिद की जमीन का गलत तरीके से रजिस्ट्री करा कर और वादी की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 7678 को इस काउन्टर क्लेम की आड में दवाना चाहते हैं। काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। अंत कांउन्टर क्लेम खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: Self Attested

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये है:-

1. आया, वादपत्र पैरा नं0 1 में दर्ज आराजी ख.न0 9678 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा कस्बा करौली में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

---वादी

2. आया, वादी प्रतिवादीगण वाद पत्र के पैरा नं0 में दर्ज आराजी से बेदखल नही करने, खण्डो की बाउण्ड्री नही तोडने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी हैं।

---वादी

3. आया, वादी को कोई वाद कारण पैदा नहीं होने से दावा खाारिज होने योग्य है।

---प्रतिवादी सं01से4

4. आया, वादी द्वारा प्रतिवादी को खातेदारी की आराजी ख0न0 7681, 7682 में 10 फुट भूमी पर अतिक्रमण कर खण्डों की बाउण्ड्री निर्माण कर है। जिसे करीने काउन्टर क्लेम बेदखल कराने का अधिकारी है।

---प्रतिवादी नं0

5. अनुतोष :-

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी मोहनलाल पीडब्ल्यू-1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064-67 प्रदर्श-1, खसरा टीप संवत 1991-92 पेश की है। साक्ष्यवादी समाप्त की जाकर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी नरेश कुमार डीब्ल्यू-1 के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064-67 प्रदर्श-1 पेश की है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण का बहस में कथन [illegible] दी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नम्बर 7678 रकबा 2 [illegible]-1 वाके कस्बा करौली तहसील व जिला करौली के अंदर स्थि[illegible] है जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बंध व ताल्लुक नहीं है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी की पूरब दिशा की तरफ डोर को काटकर अपनी जमीन में मिला

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रहे है तथा 10 फुट चौडी व 250 फुट लम्बी जमीन को लाठी के बल पर मेरी पक्की खण्डो की बाउण्डरी को तोड कर मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहते है तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। दिनांक 30/5/2011 को सुबह 8 बजें करीब वादी अपनी उक्त आराजी को देखने गया तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वादी की खण्डो की पक्की बाउण्डरी को फैलाने पहुच गए वादी ने मना किया तो झगडा करने पर आमदा हो गए। वादी ने कहा कि मेरी पचासो साल पुरानी बाउण्डरी बनी हुई है इसको मत तोडो और मेरी जमीन की अंदर मदाखलत वेजा मत करों किन्तु प्रतिवादीगण नाजायज वादी को परेशान कर रहे है और कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दे रहे है मेरी फसल को उजाडने की धमकी दे रहे है। वादी प्रतिवादीगण की इस ताकत का मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने का मुश्तहक हैं। अंत मे दावा वादी डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 7678 से भिडेवा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजीयात खसरा नं0 7681, 7682 है जिसके काफी भू–भाग को वादी झूठे वाकियात पर आधारित दावा की आड में दबाने पर उतारू है। प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन में कोई तोड फोड की गई न ही अपनी जमीन में वादी की आराजी का कोई कोई भू–भाग मिलाया है। बल्वि असलियत में दायरी दावा के समय खसरा नम्बर 7678 की कोई खण्डो की दीवार ही बनी हुई [illegible] ही प्रार्थी द्वारा वादी की किसी भूमि को काट कर अपनी भूमि में [illegible] है बल्कि प्रार्थी की खाातेदारी की व कब्जा काश्त की आराजी खसरा [illegible] 7681 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 7682 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा वाके कस्बा करौली तहसील करोली के करीब 10 फुट चौडी भू–भाग को बर विनाय बदयान्ति खसरा नं0 7678 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

सीमा में मिलाते हुए प्रार्थी की गैर मौजूदगी की फायदा उठाकर दबा लिया है। तहसील उजात मजीद व काउन्टर क्लेम में दर्ज की गई है जिससे वादी को बेदखल किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा बिल्कुल बेबुनियाद व मनगढंत दावा प्रार्थी की जमीन पर अतिचार कर पेशबंदी के लिये पेश किया है जो हर हाल में खारिज होने योग्य है। वादी को किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो कभी धमकी दी गई न ही किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे परेशान ही किया प्रार्थी द्वारा आराजीयात खसरा नम्बर 7681, 7682 वजरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की ओर कब्जा बेचान कर्ता से प्राप्त किया जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादी को रही है। प्रार्थी बाद खरीद अपनी दीगर कार्यो की आवश्यकता के कारण जयपुर चला गया जिसकी जानकारी भी वादी को रही और इसी का फायदा उठाकर वर विनाय बदयान्ति वादी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 7681, 7682 के करीब 10 फुट चौडे भू–भाग पर अतिचार करते हुए खण्डों की दीवार 2 दिन में ही तैयार करा पेश बंदी के लिये झुठा दावा माननीय अदालत श्रीमान को मुगालता देकर पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करली। अंत दावा वादी खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य का विवेचन कर अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है। विवाद्यक 1 व 2 एक–दूसरे के पूरक है। वादी [illegible] में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 पेश की है। जिसमें खसरा नं. 7678 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वादी की खातेदारी में दर्ज है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी ने भूमि पर अपना कब्जा बतौर खातेदार होना बताया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य से नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण ने मात्र साक्ष्य में सीमा विवाद होना बताया है। इस प्रकार वादी भूमि का खातेदार काश्तकार है। अतः विवाधक संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाधक संख्या 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी प्रदर्श ए–1 संवत 2064–67 पेश की है। जिसमें खसरा नंबर 7682 प्रतिवादी नंबर 6 के खातेदारी में दर्ज है। जिसका कोई खण्डन वादी द्वारा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं किया गया है। इस प्रकार खसरा नंबर 7682 प्रतिवादी नंबर 6 की खातेदारी की है। अतः विवाधक संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्ध तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाधक संख्या 5 अनुतोष है। विवाधक संख्या 1 ता 4 के विवेचन से खसरा नंबर 7678 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होना एवं खसरा नंबर 7682 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी नंबर 6 की खातेदारी की होना राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 7678 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली में वादी के कब्जेकाश्त में दखल अंदाजी नहीं करे एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी डिक्री किया जाता है वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। कवह आराजी खसरा नंबर 7682 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कस्बा करौली तहसील करौली में प्रतिवादी नंबर 6 के कब्जेकाश्त में दखल अंदाजी नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)